अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (आई०टी०पी०ए०)

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956 (आई०टी०पी०ए०)

किसी व्यक्ति या बच्चे का यौन शोषण होने पर, जब किसी अन्य व्यक्ति को उसका लाभ पहुँचता है, तो यह व्यावसायिक यौन शोषण है, जो दंडनीय अपराध है। अवैध व्यापार की इस प्रक्रिया में व्यावसायिक यौन शोषण हेतु किसी व्यक्ति की नियुक्ति, अनुबंधन, क्रय किया जाता है अथवा उसे भाड़े पर रखा जाता है।

आई०टी०पी०ए० के अनुसार, आवश्यक नहीं कि व्यावसायिक क्रियाकलाप वेश्यालय में हों, बल्कि यह अवासीय स्थलों, वाहनों, इत्यादि में भी हो सकता है। यह अधिनियम कार्यरत पुलिस अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह ऐसी सभी परिस्थितियों में, जिसमें अवैध व्यापार के कारण मसाज़ पार्लरों, बारों, टूरिस्ट सर्किटों, एस्कॉर्ट सेवाओं, मित्रता, क्लबों इत्यादि सहित किसी भी रूप में व्यावसायिक यौन शोषण होता है अथवा होने की सम्भावना रहती है, कार्यवाही कर सके।

अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956		
धारा	प्रावधान	दंड
3	कोई व्यक्ति जो किसी मकान, या स्थान का मालिक,किराएदार, भारसाधक, एजेंट है, उसे वेश्यागृह के लिए प्रयोग करता है या उसे यह जानकारी है कि ऐसे किसी स्थान या उसके भाग को वेश्यागृह के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, या वह अपनी इच्छा से ऐसे किसी स्थान या उसके किसी भाग को वेश्यागृह के रूप में प्रयोग करने में भागीदारी देता है	प्रथम अपराध पर – कम से कम 1 वर्ष व अधिक से अधिक तीन साल का कठोर कारावास, और 2000/- रूपये का जुर्माना दोबारा इस अपराध का दोषी पाए जाने पर कम से कम दो साल व अधिक से अधिक पांच साल का कठोर कारावास और दो हजार रुपये का जुर्माना
4	वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहना	**16** साल की उम्र से अधिक का कोई भी व्यक्ति अगर किसी वेश्या की कमाई पर रह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को दो साल की जेल या एक हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है या दोनों। अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग द्वारा की गई वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहता है तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 7 साल व अधिक से अधिक 10 साल की जेल हो सकती है।

5	वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को खरीदने, फुसलाने या बहलाने की चेष्टा करना या ले जाना i. किसी व्यक्ति को चाहे उसकी सहमति से या सहमति के बिना वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से खरीदना या खरीदने की कोशिश करना ii. किसी व्यक्ति को इस इरादे से किसी भी जगह से जाने के लिए प्रेरित करना कि वह वेश्यावृत्ति के उद्देश्यों के लिए किसी वेश्यागृह का अंत:वासी हो जाए या उसमें प्राय: जाता रहे iii. किसी व्यक्ति को इस दृष्टि से कि वह वेश्यावृत्ति करे या वेश्यावृत्ति करने के लिए उसका पालन-पोषण किया जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा या ले जाने का प्रयत्न किया जाएगा या लाया जाएगा iv. किसी व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराई जाएगी या कराने के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा	• कम से कम **3** साल व अधिक से अधिक **7** साल का कठोर कारावास और **2000/-** रुपये जुर्माना • अगर यह अपराध किसी व्यक्ति की सहमति के विरुद्ध किया जाता है तो दोषी व्यक्ति को **7** साल की जेल, जो अधिकतम **14** साल तक की हो सकती है, से दंडित किया जा सकता है • अगर यह अपराध किसी बच्चे के विरूद्ध किया जाता है तो दोषी को 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है • यदि अपराध नाबालिग के खिलाफ किया जाता है तो उस व्यक्ति को न्यूनतम 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी जाएगी, किन्तु जो 14 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है

6	किसी व्यक्ति को ऐसे परिसर में रोकना, जहां वेश्यावृति की जाती है – अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसकी सहमति से अथवा उसकी सहमति के बिना - 1. किसी वेश्यागृह में रोकता है; या 2. किसी स्थान पर, किसी व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, जो कि उसका पति या पत्नी नहीं है, संभोग करने के लिए रोकता है	- तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम सात साल की जेल जो कि दस साल या उम्र कैद तक हो सकती है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है - जहां कोई व्यक्ति किसी वेश्यागृह में किसी बालक के साथ पाया जाता है, वहाँ जब तक प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि उसने कोई अपराध किया है - अगर बच्चा या **18** वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति वेश्यागृह में पाया जाता है, और उसकी चिकित्सीय जांच के बाद यह सिद्ध होता है कि उसके साथ लैंगिक शोषण हुआ है, तो यह माना जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को वेश्यावृत्ति करवाने के लिए रखा गया है या उसका लैंगिक शोषण आर्थिक लाभ के लिए किया जा रहा है।

7	सार्वजनिक स्थानों या उसके आस-पास वेश्यावृत्ति – वेश्यावृत्ति करने वाला कोई व्यक्ति और वह व्यक्ति, जिसके साथ ऐसी वेश्यावृत्ति ऐसे किन्हीं परिसरों में की जाएगी - **1.** जो राज्य सरकार ने चिन्हित किए हों या **2.** जो कि निम्न स्थानों से **200** मीटर की परिधि के भीतर हो – सार्वजनिक पूजा स्थल, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, परिचर्या गृह या ऐसा कोई भी सार्वजनिक स्थान, जिसको पुलिस आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा अधिसूचित किया गया हो।	– ऐसे व्यक्ति को **3** महीने तक के कारावास या 200 रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा – कोई व्यक्ति यदि किसी बच्चे या नाबालिग से ऐसा अपराध करवाता है तो उसको कम से कम सात साल व अधिक से अधिक उम्र कैद या **10** साल तक की जेल हो सकती है तथा जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति जो - *1.* किसी सार्वजनिक स्थान का पालक होते हुये वेश्याओं को अपने व्यापार के प्रयोजनों के लिए जानबूझकर ऐसे स्थान का आश्रय लेने या वहाँ रहने देगा; या *2.* कोई किराएदार, दखलदार या देखभाल करने वाला व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए ऐसे स्थानों के प्रयोग की अनुमति देता है; या *3.* किसी स्थान का मालिक, एजेंट ऐसे स्थानों को या उसके किसी भाग को यह जानते हुये किराए पर देगा कि उस स्थान का वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है अथवा जानबूझकर ऐसे प्रयोग का पक्षकार होगा पहले अपराध पर - वह तीन महीने के कारावास या **200/-** रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति फिर ऐसे अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह छः महीने के कारावास या **200/-** रुपये के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकता है यदि यह अपराध किसी होटल के परिसर में किया गया है, तो उस होटल का लाइसेंस भी तीन महीने से कम अवधि के लिए रद्द किया जा सकता है, लेकिन यह अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है| यदि यह अपराध बच्चे या नाबालिग के साथ किया जाता है, तो उस होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा

9	किसी व्यक्ति द्वारा अपने संरक्षण, देखभाल में रहने वाले किसी व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाना, उकसाना, सहायता करना	कम से कम 7 साल की जेल, जिसे उम्र कैद या दस साल तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने से दंडित किया जा सकता है
(धारा-**366**-क)	यदि कोई 18 साल से कम उम्र की लड़की को फुसलाता है, किसी स्थल पर जाने को या कोई कार्य करने को कहता है, यह जानते हुए कि उसके साथ अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो यह दंडनीय अपराध है विदेश से लड़की का आयात करना (धारा **366**-ख) अगर कोई व्यक्ति किसी **21** साल से कम उम्र की लड़की को विदेश से या जम्मू कश्मीर से लाता है, यह जानते हुए कि उसके साथ गैर कानूनी संभोग किया जाएगा या उसके लिए मजबूर किया जाएगा तो यह दंडनीय अपराध है	ऐसे व्यक्ति को **10** साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ऐसे व्यक्ति को **10** साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है

विशेष पुलिस अधिकारी एवं सलाहकार बॉडी

यह अधिनियम राज्य सरकारों को इस अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने का प्रावधान प्रदान करता है।
यदि आवश्यक हो, तो राज्य सरकार महिला पुलिस अधिकारियों और सलाहकार निकायों को भी नियुक्त कर सकती है।

सभी अपराध संज्ञेय

चूँकि यह अपराध संज्ञेय है, इसलिये अपराध के दोषी व्यक्ति को विशेष पुलिस अधिकारी या उसके निर्देश पर बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

वेश्यालय या वेश्यावृत्ति के परिसर को बंद करना

यदि मजिस्ट्रेट को पुलिस से या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना मिलती है कि कोई घर, मकान, स्थान आदि सार्वजनिक स्थान के 200 मीटर के भीतर वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वह उस जगह के मालिक किराएदार, एजेंट या जो उस स्थान की देखभाल कर रहा है, उसे नोटिस देगा कि वह सात दिन के अंदर जवाब दें कि क्यों न उस स्थान को अनैतिक काम के लिए प्रयोग किए जाने वाला घोषित किया जाये।

संबंधित पक्ष को सुनने के बाद यदि यह लगता है कि वहां पर वेश्यावृत्ति हो रही है तो मजिस्ट्रेट सात दिन के अंदर उसको खाली करने व अनुमति के बिना किराये पर न देने के आदेश दे सकता है।

न्यायालयों के देह व्यापार से संबंधित निर्णय:-

1. बाल देह व्यापार - उच्चतम न्यायालय ने गौर जैन बनाम भारत संघ में कहा है कि वेश्यावृत्ति एक अपराध है, लेकिन जो महिलाएं देह व्यापार करती है, उनको दोषी कम और पीड़ित ज्यादा माना जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों को पढ़ाई के अवसर और आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए तथा उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उनकी शादियां भी करवानी चाहिए, जिससे बाल देह व्यापार में कमी हो सके।

2. उच्च न्यायालय ने प.न. कृष्णलाल बनाम केरल राज्य में कहा कि राज्य के पास यह शक्ति है कि वह कोई व्यापार या व्यवसाय जो गैर कानूनी, अनैतिक या समाज के लिए हानिकारक है, उस पर रोक लगा सकती है|

NOTES

SATYARTHI

KAILASH SATYARTHI CHILDREN'S FOUNDATION

मुख्य कार्यालय: ए -23, फ्रेंड्स कॉलोनी (वेस्ट), नई दिल्ली -110065
फोन: 011 47511111 | ई-मेल: info@satyarthi.org.in | वेबसाईट: www.satyarthi.org.in

बाल शोषण के खिलाफ शिकायत करें

1800-102-7222 (Toll-Free)